कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश)

दुरभाष क्रमांक 07394–234400 फेक्स क्रमांक 234222

क्रमांक/नजारत/वाहन/2018–19/621 अलीराजपुर, दिनांक 07/02/2019

प्रति,

आयुक्त जनसम्पर्क
जनसम्पर्क संचालनालय
(विज्ञापन शाखा)
बाणगंगा रोड
भोपाल (म.प्र.)

विषय – किराये का वाहन लेने हेतु " निविदा" का प्रकाशन

संदर्भ– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 03/20/2013/सात/शा–5/1126, भोपाल, दिनांक 04 मार्च 2014 एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–12/2017/सात/शा–5, भोपाल, दिनांक 16.03.2018 ।

संदर्भित पत्र के अनुसार जिला अलीराजपुर में राजस्व विभाग अन्तर्गत अधिकारी एवं तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार जिनके पास वाहन नही है, उन्हे किराये के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु **" निविदा आमंत्रण सूचना "** किसी भी एक दैनिक समाचार पत्र में निविदा का प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न – निविदा आमंत्रण सूचना मुल प्रति।

(शैलेन्द्रसिंह सोलंकी)
संयुक्त कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ.क्रमांक/नजारत /वाहन/2018–19/622 अलीराजपुर, दिनांक 07/02/2019

प्रतिलिपि –

01. सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
02. आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर।
03. श्री ए.बी. सागर, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संक्षिप्त समाचार पत्र डी.एम. अलीराजपुर के वेबसाईट पर अपलोड करे।
04. अधीक्षक, कलेक्टोरेट अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

संयुक्त कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर

क्रमांक/नजारत/वाहन/2018-19/617 अलीराजपुर, दिनांक 07/02/2019

::- निविदा आमंत्रण सूचना - ::

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेष शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक एफ 03-20/2013/सात/शा-5/1126, दिनांक 04 मार्च 2014 के अनुसार तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार जिनको वाहन आवंटित नही है, को किराये के वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-12/2017/सात/षा-5, भोपाल, दिनांक 16.03.2018 राजस्व विभाग के अन्तर्गत पदस्थ अधिकारियों को किराये का वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त आदेष के तहत् टैक्सी कोटा परमिट अंतर्गत अलीराजपुर जिलें मे चार पहिया वाहन किराये पर लिये जाने की आवष्यकता है।

वाहन दिनांक 01.01.2018 या उसके बाद का पंजीयन होना चाहिये। वाहन 31 मार्च 2021 तक के लिये अनुबंधित किया जाना है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में दिनांक 20/2/2019 सांय 5.00 बजे तक रूपये 1,000/-(अक्षरी- एक हजार मात्र) नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा 21/2/2019 को समय दोपहर 03:00 बजे तक जमा कर उसी दिन समय 3:30 बजे उपस्थित निविदाकारों एवं समिति सदस्यों के समक्ष बजे खोली जायेगी।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

(शैलेन्द्रसिंह सोलंकी)
संयुक्त कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर

क्रमांक/नजारत/वाहन/2018–19/618 अलीराजपुर, दिनांक 07/02/2019

::– वाहन निविदा की शर्ते –::

01. वाहन दिनांक 01.01.2018 या उसके बाद का पंजीयन होना चाहिये।
02. वाहन टेक्सी परमिट होना आवश्यक रहेगा।
03. वाहन का अनुबंध 31 मार्च 2021 तक मान्य होगा।
04. वाहन अनुबंध प्रपत्र दिनांक 20/2/2019 को समय सांय 05:00 बजे तक राशि रूपये 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) नगद जमा कर प्राप्त की जा सकेगी।
05. वाहन निविदा दिनांक 21/2/2019 को समय दोपहर 03:00 बजे तक जमा कर उसी दिन समय 3:30 बजे उपस्थित निविदाकारो एवं समिति सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी।
06. वाहन किराया राशि की न्युनतम दर स्वीकृत के उपरांत संबंधित ऐजेंसी/फर्म के द्वारा राशि रूपये 10,000/–(दस हजार मात्र) का डिमांड/एफ.डी.आर कलेक्ट्रेट जनभागीदारी समिति अलीराजपुर, के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. पंजीकृत ऐजेंसी अन्य किसी वाहन स्वामी के स्वामित्व का वाहन प्राप्त कर अनुबंध करता है, तो ऐजेंसी एवं संबधित वाहन स्वामी अनुबंध में पत्र निष्पादित करेगे कि वाहन स्वामी को वाहन किराया राशि का भुगतान संबधित ऐजेंसी से प्राप्त करने का हकदार होगा। कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर से नही।
08. संबधित ऐजेन्सी की निविदा स्वीकृति उपरात 50 प्रतिशत वाहन संबधित फर्म के नाम से होना अनिवार्य होगा।
09. वाहन स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी का होगा। वाहन चालक के पास नियमानुसार फोर व्हीलर का वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना आवश्यक है। वाहन चालक के वेतन भत्तों व अन्य खर्च का स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा। अनुबधित वाहनों का पंजीयन टैक्सी कोटे में होना आवश्यक है।
10. अनुबंधित वाहनों के यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानों पर भी ले जाया जावेगा। स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी के वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि वह आवंटित वाहन अधिकारी के आदेशो का पालन करे।
11. वाहन चालक के वाहन की लॉग बुक अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। वाहन चालक द्वारा संबधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी से वाहन की मीटर रीडिंग प्रतिदिन की गई यात्रा समय लॉग बुक की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. अनुबंधकर्मा एजेन्सी द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई समस्त शर्तो का पालन किया जायेगा।
13. प्रत्येक अनुबंधित वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र/वाहन वैध बीमा/वाहन के परिचालक हेतु परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अन्य प्रमाणिकरण की प्रति वाहन में रखा जाना अनिवार्य होगा।
14. वाहन चालक का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने की शिकायत पर वाहन चालक बदलना अनिवार्य होगा।
15. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी का होगी।

Scanned by CamScanner

16. वाहन में प्राथमिक उपचार किट,साफ सीट–कव्हर आदि रखे जाना आवश्यक रहेगा।
17. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक होगा। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये टायर–ट्यूब नये होना चाहिए माइलोमीटर हमेशा चालु हालत में होना अनिवार्य होगा जिसकी जिम्मेदारी स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी का होगी।
18. यह कि मासिक किराये में वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी द्वारा 02 घंटे के अंदर दुसरे वाहन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इससे अधिक समय लगने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अन्य ट्रेवल्स से वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उस का व्यय होता है तो उस व्यय का भार स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी द्वारा वहन करना होगा।
19. वाहन कलेक्टर, जिला अलीराजपुर एवं उनके अधीन अथवा उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर संबधित अधिकारी को सदैव उपलब्ध कराना होगा।
20. यह कि कार्यालय प्रमुख की मांग अनुसार निर्धारित समय व स्थान पर वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रदाय न किये जाने पर अधिकतम तीन नोटिस दिये जावेगे। इसके बाद पुनरावृति होने पर संस्था/फर्म/ऐजेन्सी द्वारा जमा प्रतिभुति राशि को राजसात कर ली जावेगी तथा अनुबध समय सीमा के पुर्व तत्काल निरस्त किया जायेगा।
21. मासिक किराये पर प्रदत्त वाहन के खराब या अनुपलब्धता के दौरान स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी द्वारा बिना अन्तराल के वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य होगी। लो मुल वाहन से न्युन नही होगा अन्यथा कार्यालय प्रमुख द्वारा वाहन की व्यवस्था करने पर व्यय का भार स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी को वहन करना होगा।
22. वहन की मरम्मत या सुधार की स्थिति में स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी (वाहन मालिक) को गैरेज से कार्यालय तक का व्यय भुगतान स्वयं वहन करना होगा।
23. यह कि माइलोमीटर में गड़बड़ी या हेराफेरी या वाहन चालक द्वारा सड़क मार्ग हेतु अनुसार निर्धारित दुरी से अधिक दुरी दर्शाने की दशा में सड़क मार्ग के निर्धारित अनुसार दुरी मान्य की जावेगी।
24. मसिक किराये पर वाहन लिये जाने पर वाहन 24 घण्टे कार्यालय/अधिकारी आवास पर खड़ी करना होगी। यदि स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी अनुबंध अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाये तो उसकी सूचना एक माह पुर्व देनी होगी।
25. किराये के वाहन हेतु समयावधि वृद्वि अथवा कटौती वाहन सेवा को निरस्त करने के समस्त अधिकार कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित रहेगे।
26. वाहन स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार के विवाद में कार्यालय प्रमुख का कोई उत्तरदायित्व नही होगा, सम्पुर्ण जिम्मेदारी स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी की रहेगी।
27. टोल टैक्स, वाहन का बीमा, म्यूलिसीपल टैक्स, पार्किंग चार्जेस एवं अन्य टैक्स जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित किए जाएंगे वह वाहन चालक धारक (स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी) को व्यय करना होगा।
28. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च का वहन, वाहन मालिक को करना होगा, यदि कोई क्षतिपुर्ति आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाते है तो न्यायालय के आदेश के पालन की सम्पुर्ण जवाबदारी भी स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी/वाहन मालिक की होगी।

Scanned by CamScanner

29. वाहन किराये का देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा। देयक प्राप्त होने के दिनांक से एक माह की अवधि में भुगतान किया जावेगा। भुगतान में यदि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब होता है तो स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी कोई ब्याज या अन्य क्षतिपुर्ति की मांग नही करेगा।

30. वाहन के ईध का नियंत्रण स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी के अधीन रहेगा। एजेन्सी द्वारा वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापित किये जाने के आधार पर ईधन का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा।

31. उपलब्ध कराये गये वाहन के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन की जिस समय आवश्यकता होगी तो उसकी सूचना पृथक से दी जावेगी, एवं सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृत संस्था/फर्म/ऐजेन्सी को वाहन प्रदाय करना होगा।

32. वाहन का अनुबंध 02 वर्ष के लिए किया जावेगा, जो भविष्य में वाहन की स्थिति तथा आपरेटर द्वारा दी जा रही सेवाओं को देखते हुए अगले 01 वर्ष हेतु बढाया जा सकता है। इसके समस्त अधिकार विभाग प्रमुख केपास होगे। यदि आपरेटर द्वारा किसी भी नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि 15 दिवसीय सूचना के आधार पर अनुबंध बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।

33. मासिक वाहनों के संबंध में दी गई दरे सभी प्रकार के टैक्स जिसमें वाहन किराये पर भी जीएसटी प्रथक से देय होगा। शेष अन्य कोई टैक्स भुगतान अलग से देय नही होगा। शासन नियमों के अनुसार आवश्यकता होने पर स्त्रोत के टैक्स की कटौती की स्थिति में उक्त कटौती की जावेगा।

34. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का निर्ण अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार अलीराजपुर होगा।

35. निविदाकर्ता का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर अनिवार्य होगा एवं उनकी प्रति निविदा के संलग्न किया जाना भी अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश)

दुरभाष क्रमांक 07394–234400 फेक्स क्रमांक 234222

क्रमांक / नजारत / 2018–19 / 619 अलीराजपुर, दिनांक 07/02/2019

प्रति,

01. अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर।
02. प्रभारी अधिकारी वित्त–2, कलेक्टोरेट अलीराजपुर।
03. कोषालय अधिकारी, जिला अलीराजपुर।
04. प्रभारी अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय जिला अलीराजपुर।

विषय – वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा के सीलबंद लिफाफे खोलने एवं परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में

संदर्भ– म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 03 / 20 / 2013 / सात / शा–5 / 1126, भोपाल,दिनांक 04 मार्च 2014 एवं सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–12 / 2017 / सात / शा–5, भोपाल, दिनांक 16.03.2018।

– 00 –

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे।

म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी जिनको वाहन आवंटित नही है, को किराये के वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाने 31 मार्च 2021 तक के लिय वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 20/2/2019 समय सायं 05:00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 21/2/2019 को उपस्थित निविदाकारों एवं समिति सदस्यों के समक्ष दोपहर 03:00 बजे खोली जावेगी।

अतः दिनांक .... को सरल क्रमांक 01 लगाकर 04 तक अंकित अधि. / कर्म की समिति गठित की जाकर सूचित किया जाता हे कि वाहन निविदा के सीलबंद लिफाफे समिति द्वारा प्रस्तुत निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जाकर, उनका परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत का कष्ट करे।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

(शैलेन्द्रहसिंह सोलंकी)
संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर

पृ.क्रमांक / नजारत / 2018–19 / 620 अलीराजपुर, दिनांक 07/02/2019

प्रतिलिपि–

01. आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर,
जिला अलीराजपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर,जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश)

"– निविदा फार्म –" मुल्य रूपये 1,000/– प्रति नग

(निविदा आमंत्रण सूचना के तहत् चार पहिया वाहन के लिये निविदा फार्म का प्रारूप)

निविदा आमंत्रण की सूचना का क्रमांक/नजारत /2018–19/ , दिनांक

1. फर्म/ऐजेन्सी मालिक का नाम – ____________________
2. फर्म/ऐजेन्सी का पेन नम्बर – ____________________
3. फर्म /ऐजेन्सी का जी.एस.टी नम्बर – ____________________
4. फर्म/ऐजेन्सी/वाहन मालिक का पुरा पता – ____________________
5. फर्म/ऐजेन्सी का सम्पर्क मोबाईल क्रमांक :– ____________________
6. फर्म/एजेन्सी संचालक का नाम :– ____________________

क्र.	वाहन का प्रकार	मॉडल/वर्ष	वाहन मासिक किराया राशि	वाहन मासिक किराया राशि	वाहन मासिक किराया राशि में
–	–	–	डिजल रहित/चालक सहित	डिजल रहित /चालक रहित	डिजल सहित /चालक सहित
01	02	03	04	05	06
01	महिन्द्र बोलेरो				
02	एक्स.यु.वी.				
03	टाटा झेस्ट				
04	इनोवा				
05	महिन्द्रा स्कारपिओ				
06	महिन्दा मराजो				

7. **निविदा में उल्लेखित अनुसार धरोहर राशि जमा करने का विवरण :–**

नगदी/बैक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. का क्रमांक .... दिनांक .... बैंक का नाम .... बैंक शाखा का नाम .... राशि रूपये 10,000/–(बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति सुरक्षित रख ली गई है।)

Scanned by CamScanner

"– घोषणा पत्र –"

मेरे द्वारा निविदा आमंत्रण पत्र एवं निविदा शर्तो का भली भांति अध्ययन कर लिया गया है, तथा उसका अनुबंध पत्र तैयार कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है। मुझे निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

निविदाकर्ता/व्यक्ति/ के
के हस्ताक्षर

दिनांक :–
समय :–

Scanned by CamScanner